न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 29/2018/राजस्व वाद

उनवान

एलमबाई पत्नि बालाराम जाति कुल्मी नि. रूपाखेडी तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी – पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

निर्णय **दिनांक :** 24/01/2023

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम मुण्डला तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 91, 92ए, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा यह आराजी वादी के खातेदारी की आराजी ख.नं. 875 में शामिल है। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि छोटी पटटी के अन्तर्गत बारानी प्रथम किस्म की है जो कि खातेदारी दिये जाने योग्य है। उक्त आराजी का अन्य किसी भी व्यक्ति के लिये कोई उपयोग नहीं है तथा वादी इस आराजी का उपयोग उपभोग निरन्तर कई वर्षो से स्वामी की हैसियत से कर रहा है।

वाद कारण दिनांक 12.11.2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादी ने इस भूमि को अपने नाम करने के लिये प्रतिवादी से [illegible] या एवं उन्होने मना कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम मुण्डला तहसील रायपुर की आराजी ख. नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि का खातेदारी अधिकार वादी को दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। वाद पत्र के साथ ग्राम मुण्डला के खाता सं. 10 की नकल , नक्शा ट्रेस नकल एवं खसरा परिवर्तनशील की नकले प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पेरोकार सरकार को सम्मन से तलब करने पर पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुण्डला की आराजी ख.नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी ग्राम रायपुर से ग्राम दीवलखेडा डामर सडक से लगी हुई है। वादी का कब्जा उक्त भूमि के 4 बिस्वा पर अतिक्रमी की हैसियत से है जिसे प्रतिवर्ष बेदखल किया जाता रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दर्ज नहीं है। भविष्य में सडक चौडीकरण होने में उक्त भूमि का उपयोग हो सकता है। उक्त भूमि खातेदारी देने योग्य नहीं है। वादी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण है जिसे हर वर्ष बेदखल किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम रायपुर से ग्राम दीवलखेडा डामर सडक पर लगी हुई है एवं लम्बी पटटी है। भविष्य में सडक के चौडीकरण में उक्त भूमि का उपयोग हो सकता है। अतः वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वाद पत्र, जवाब पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्धान वकील वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम मुण्डला तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। न्यायालय तहसीलदार रायपुर द्वारा वादी अतिक्रमी को प्रतिवर्ष बेदखल किया जाता है जिससे वादी का कब्जा निरन्तर होना सही नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी के खा[illegible] अधिकार [illegible] नहीं [illegible] है। भविष्य में ग्राम रायपुर से ग्राम दीवलखेडा डामर सडक के चौडीकरण में उक्त भूमि का उपयोग हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद में ग्राम मुण्डला तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड होने एवं वादी के खातेदारी अधिकार सिद्ध नहीं होने से वाद वादी खारीज किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 29/2018/राजस्व वाद

उनवान

एलमबाई पत्नि बालाराम जाति कुल्मी नि. रूपाखेडी तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी – पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में ग्राम मुण्डला तहसील रायपुर की आराजी ख.नं. 1026/857 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज रिकार्ड होने एवं वादी के खातेदारी अधिकार सिद्ध नहीं होने से वाद वादी खारीज किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

मुदृदई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner